न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट मुबारिकपुर)

पीठासीन अधिकारी : श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आरएएस

मुकदमा नं0 3/1106/15 निर्णय दिनांक : 02.05.2018

उनवान

1. **कुलवन्तसिंह पुत्र श्री बाग सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।**

..............................**प्रार्थी**

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।**

......................**अप्रार्थी**

(अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट)

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी खाता सं0 6 में खसरा नम्बर 2926 रकबा 0.28, 2928 रकबा 0.55 हैक्ट0 किता 2 रकबा 0.83 हैक्ट0 में 1/3 हिस्सा व खाता सं0 206 में खसरा नम्बर 324 रकबा 0.30 का 1/2 हिस्सा, खाता सं0 294 में खसरा नम्बर 2276 रकबा 0.10, 2288 रकबा 0.05, 2339 रकबा 0.16, 2473 रकबा 0.46, 3366 रकबा 0.18, 3560 रकबा 0.04 हैक्ट0 किता 6 रकबा 0.99 हैक्ट0 का 1/8 हिस्सा, खाता सं0 295 में खसरा नम्बर 3543 रकबा 0.01, 3544 रकबा 1.16, 3545 रकबा 0.59 हैक्ट0 किता 3 रकबा 1.76 हैक्ट0 का 1/8 हिस्सा, खाता सं0 575 में खसरा नम्बर 2927 रकबा 0.74, 2929 रकबा 0.06 हैक्ट0 किता 2 रकबा 0.80 हैक्ट0 का 1/3 हिस्सा वाके ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी में प्रार्थी अपने उपोक्त हिस्सानुसार कब्जे काश्त खातेदार है। जिसका अमल जमाबन्दी में हो रहा है। प्रार्थी के समस्त कागजात में व अन्य कृषि आराजी में प्रार्थी का नाम कुलवन्तसिंह पुत्र बागसिंह दर्ज है जबकि खाता सं0 6, 206, 575 में प्रार्थी का नाम गुरदास सिंह पुत्र बागसिंह खाता सं0 294 व 295 में प्रार्थी का नाम कक्कासिंह पुत्र बागसिंह जो गलत राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम कुलवन्तसिंह पुत्र बागसिंह है जो प्रार्थी के राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में दर्ज है। प्रार्थी सही नाम दुरूस्त कराना चाहता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों के आधार पर आराजी खाता सं0 6, 206, 575 वाके ग्राम मुबारिकपुर में प्रार्थी का नाम गुरदास सिंह पुत्र बागसिंह के स्थान पर कुलवन्तसिंह पुत्र बागसिंह दर्ज किया

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

जावे। व खाता सं0 294 व 295 वाके ग्राम मुबारिकपुर में प्रार्थी का नाम कक्कासिंह पुत्र बागसिंह के स्थान पर कुलवन्तसिंह पुत्र बागसिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से इस प्रकार जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी कुलवन्तसिंह प्रार्थना पत्र में अंकित उसके अन्य खातो में दर्ज नाम गुरदास सिंह पुत्र बागसिंह व कक्कासिंह पुत्र बागसिंह को शुद्ध कराकर सही नाम कुलवन्तसिंह उर्फ गुरूदास सिंह दुरूस्त कराना चाहते है। पुष्टि में फोटो पहचान पत्र व राशनकार्ड की प्रति पेश की है। जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के खाता सं0 274 में कुलवन्तसिंह उर्फ कक्का सिंह दर्ज है एवं खाता सं0 783 में कुलवन्तसिंह पुत्र कक्कासिंह भी दर्ज है। अतः बगैर सक्षम आधार के दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुबारिकपुर में दिनांक 02.05.2018 को पेश हुई। साक्ष्य बाबत मौके पर प्रार्थी के भाई अजीत सिंह, बलवन्तसिंह, जरनैलसिंह, करनैल सिह पुत्रांन बाग सिंह जाति रायसिख निवासी मुबारिकपुर ने अपने बयानों में कथन किया कि कुलवन्तसिंह पुत्र बागसिंह हमारा सगा भाई है। इसका नाम राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग दर्ज हो गया है। इसका सही नाम कुलवन्तसिंह ही है। अगर राजस्व रिकार्ड में इनका नाम कुलवन्तसिंह कर दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नही है। यदि कोई भी कथन असत्य पाया जाता है तो हम सभी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर दी जावें। सभी भाईयों की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत मुबारिकपुर त्रिप्ता देवी द्वारा की गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। मुताबिक दस्तावेजी साक्ष्य एवं सभी भाईयों के बयानात तथा पहचानकर्ता सरपंच ग्राम पंचायत मुबारिकपुर के कथन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात एवं बयानात् के आधार पर प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

कि आराजी खाता सं0 6, 206, 575 वाके ग्राम मुबारिकपुर में प्रार्थी का नाम गुरदास सिंह पुत्र बागसिंह के स्थान पर कुलवन्तसिंह पुत्र बागसिंह व खाता सं0 294 व 295 वाके ग्राम मुबारिकपुर में प्रार्थी का नाम कक्कासिंह पुत्र बागसिंह के स्थान पर कुलवन्तसिंह पुत्र बागसिंह ताहाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत मुबारिकपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़